

**नागर विमानन मंत्रालय**  
मांग संख्या 7  
**नागर विमानन मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	4.40	214.93	219.33	4.40	213.86	218.26	4.29	230.03	234.32
	पूंजी	58.60	...	58.60	48.60	...	48.60	64.71	...	64.71
	जोड़	<b>63.00</b>	<b>214.93</b>	<b>277.93</b>	<b>53.00</b>	<b>213.86</b>	<b>266.86</b>	<b>69.00</b>	<b>230.03</b>	<b>299.03</b>
1.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.85	5.85	...	5.45	5.45	...	5.55
	<b>नागर विमानन</b>									
2.	नागर विमानन महानिदेशक	3053	3.15	18.53	21.68	3.15	17.13	20.28	1.20	17.80
		5053	2.35	...	2.35	2.35	...	1.90	...	1.90
	जोड़		5.50	18.53	24.03	5.50	17.13	22.63	3.10	17.80
3.	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3053	...	5.00	5.00	...	5.33	5.33	...	5.40
		5053	5.41	...	5.41	5.41	...	7.69	...	7.69
	जोड़		5.41	5.00	10.41	5.41	5.33	10.74	7.69	5.40
4.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्री सेवा फीस के बदले विदेश यात्रा कर के हिस्से का भुगतान	3053	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
5.	हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	154.50	154.50	...	154.50	154.50	...	170.00
6.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों को बेचे जाने वाले विमानन टर्बाइन ईंधन पर बिक्री कर के एवज में राज्य सरकारों को अदायगी	3601	...	0.01	0.01	...	0.59	0.59	...	0.01
7.	सरकारी उद्यमों में निवेश	5053	19.57	...	19.57	18.80	...	18.80	25.11	...
		7053	24.97	...	24.97	16.74	...	16.74	23.11	...
	जोड़		44.54	...	44.54	35.54	...	35.54	48.22	...
8.	अन्य व्यय	3053	1.25	3.50	4.75	1.25	3.50	4.75	3.09	3.80
		3601	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
	जोड़		1.25	3.55	4.80	1.25	3.55	4.80	3.09	3.85
	<b>अन्य परिवहन सेवाएं</b>									
9.	रेलवे सुरक्षा आयुक्त	3075	...	2.53	2.53	...	2.35	2.35	...	2.46
	घटाइए- कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण	3075	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04
	निवल		...	2.49	2.49	...	2.31	2.31	...	2.42
10.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	4552	6.30	...	6.30	5.30	...	5.30	6.90	...
	<b>कुल जोड़</b>		<b>63.00</b>	<b>214.93</b>	<b>277.93</b>	<b>53.00</b>	<b>213.86</b>	<b>266.86</b>	<b>69.00</b>	<b>230.03</b>
<b>ख.</b>	<b>सरकारी उद्यमों में निवेश</b>									
	विकास शीर्ष		बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट	आं.ब.बा.सं.
			समर्थन			समर्थन			समर्थन	
	7.01 एयर इंडिया लि.	13053	...	445.44	445.44	...	444.23	444.23	1.00	857.70
	7.02 इंडियन एयरलाइन्स लि.	13053	...	460.00	460.00	...	431.80	431.80	1.00	509.00
	7.03 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	13053	50.79	522.87	573.66	40.84	513.75	554.59	53.12	942.93
	7.04 पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.	13053	...	127.00	127.00	...	32.90	32.90	...	133.80
	7.05 भारतीय होटल निगम	13053	...	23.00	23.00	...	10.01	10.01	...	8.76
	<b>जोड़</b>		<b>50.79</b>	<b>1578.31</b>	<b>1629.10</b>	<b>40.84</b>	<b>1432.69</b>	<b>1473.53</b>	<b>55.12</b>	<b>2452.19</b>
<b>ग.</b>	<b>आयोजना परिव्यय</b>									
1.	नागर विमानन	13053	63.00	1578.31	1641.31	53.00	1432.69	1485.69	69.00	2452.19

1. इसमें विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।  
2. इस शीर्ष के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों के स्थापना व्यय और उपस्कर तथा सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को किए जाने वाले भारत के अंशदान के लिए भी व्यवस्था शामिल है।  
3. यह व्यवस्था नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के स्थापना व्यय को पूरा करने और उपस्करों तथा सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति और कार्यालय की इमारत के निर्माण से संबंधित सिविल निर्माण कार्यों के लिए की गई है।  
4. यह व्यवस्था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सरकार द्वारा एकत्र किए गए विदेशी यात्रा कर में इसके हिस्से की अदायगी के लिए है।  
5. यह व्यवस्था हज चार्टरों के प्रचालन के लिए एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड को आर्थिक सहायता की अदायगी के लिए है।  
6. यह व्यवस्था एयर इंडिया लिमिटेड सहित अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा संबंधित राज्यों में स्थित हवाईअड्डों से लिए गए विमानन टर्बाइन ईंधन पर बिक्री कर के भुगतान से छूट देने पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परित्यक्त राजस्व की प्रतिपूर्ति के लिए है। यह स्कीम 1.12.1994 से समाप्त कर दी गई है। पश्चिम

बंगाल सरकार द्वारा दावों के लंबित समाधान के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

7. इस शीर्ष के अधीन आवंटन (i) अमृतसर हवाई अड्डे के उन्नयन और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम और जम्मू और कश्मीर, लेह और लक्षद्वीप जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न हवाईअड्डों के लिए प्रचालनात्मक सुधार की व्यवस्था करने और (ii) एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड से संबद्ध विमानों के अधिग्रहण के लिए इक्विटी के भुगतान हेतु सांकेतिक प्रावधान करने के लिए बजटीय सहायता जारी करने के लिए है।

8. यह व्यवस्था फ्लाई/ग्लाइडिंग क्लबों, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और एयरो क्लब ऑफ इंडिया को सहायता अनुदान के भुगतान के लिए है।

9. इस शीर्ष के अंतर्गत व्यवस्था रेल यात्रा की सुरक्षा और प्रचालन से संबंधित रेलवे सुरक्षा आयोग के स्थापना व्यय और भारतीय रेलवे अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित कतिपय सांविधिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए है।

10. यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान है।